(10)

संख्या 940 / II–2011–03(05) / 2009, टी0सी0

प्रेषक,

पी0सी0 शर्मा,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड,
देहरादून।

सिंचाई अनुभाग | देहरादून : दिनांक 07 अप्रैल, 2011

विषय : आपातकालीन बाढ़ सुरक्षा योजनाओं की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति एवं धनावंटन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में आपके पत्र संख्या 235 / मु0अ0वि0 / सिं0वि0 / बजट / बी–1–योजना, दिनांक 28.001.2011 एवं पत्र सं0–1310 / मुअवि / बजट / बी–1, योजना, दि0–05.04.2011 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सिंचाई विभाग के लिए वर्ष 2011–12 में आयोजनागत पक्ष के अनुदान संख्या–20 के राज्य सैक्टर अन्तर्गत 03 सं0 बाढ़ सुरक्षा कार्यों (लागत ₹ 22.75 लाख), जिनका उल्लेख **संलग्नक**–1 में किया गया है, की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति निर्गत करते हुए कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है एवं चालू वित्तीय वर्ष 2011–12 में ₹ 22.75 लाख (₹ बाईस लाख पिचहत्तर हजार मात्र) व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

1. सम्बन्धित धनराशि का व्यय केवल उन्हीं योजनाओं के अन्तर्गत किया जाय, जिनके लिए यह स्वीकृति जारी की जा रही है तथा जिन योजनाओं की स्वीकृति प्राप्त है। धनराशि के अन्यत्र विचलन की दशा में सम्बन्धित अधिकारी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।
2. धनराशि का आहरण व व्यय वास्तविक आवश्यकता के अनुसार किस्तों में किया जायेगा।
3. धनराशि व्यय करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की तकनीकी स्वीकृत एवं कार्यो के प्राक्कलन सक्षम अधिकारी से अवश्य स्वीकृत करा लिये जायं।
4. उक्त व्यय में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 के सुसंगत प्राविधानों तथा शासन द्वारा मितव्यता के विषय में समय–समय पर जारी किये गये आदेशों एवं निर्देशों का पूर्ण रूप से पालन किया जाय।
5. स्वीकृति धनराशि का खण्डवार विभाजन / फॉंट मुख्य अभियन्ता एवं उपयुक्तता के सम्बन्ध में आख्या प्राप्त कर ली जाय तथा कार्यों के सम्बन्ध में यथोचित भूकम्प निरोधी तकनीकी का प्रयोग किया जाय।
6. जहॉं आवश्यक हो कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व भूगर्भ वैज्ञानिक से उपयुक्तता के सम्बन्ध में आख्या प्राप्त कर ली जाय तथा कार्यों के सम्बन्ध में यथोचित भूकम्प निरोधी तकनीकी का प्रयोग किया जाय।
7. मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष के निस्तारण पर रखी जा रही धनराशि को आहरण एवं वितरण अधिकारियों को प्राविधान / परिव्यय, जो भी कम हो, की सीमा तक तत्काल अवमुक्त किया जाए जिससे क्षेत्रीय स्तर पर बजट उपलब्ध न होने की स्थिति उत्पन्न न हो।
8. मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष द्वारा आहरण एवं वितरण अधिकारियों तथा कोषाधिकारियों को अवमुक्त धनराशियों का विवरण बी0एम0–17 पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष व्यय एवं उपयोगिता के सम्बन्ध में

आवश्यक प्रमाण–पत्र निर्धारित प्रारूप पर प्रत्येक माह के अन्त में नियमानुसार निर्धारित तिथि तक महालेखाकार उत्तराखण्ड राज्य सरकार एवं वित्त विभाग को उपलब्ध कराया जाय।

9. कार्य की समयबद्धता एवं गुणवत्ता हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।
10. त्रैमासिक रूप से कार्य की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का विवरण एवं व्यय विवरण शासन एवं केन्द्र पोषित योजनाओं में भारत सरकार को उपलब्ध करा दिया जायेगा और स्वीकृत की जा रही धनराशि का दि0 31 मार्च, 2012 तक पूर्ण उपभोग कर लिया जायेगा।
11. धनराशि आहरण सी0सी0एल0 हेतु निर्धारित नियमान्तर्गत ही किया जायेगा।
12. भविष्य में निर्माण कार्यों के प्रस्ताव करते समय बजट मैनुअल के प्रस्तर 211(डी)–4 में दिये गये प्राविधान की अनुपालना सुनिश्चित की जायेगी। साथ ही यह भी देखा जाय कि सर्वप्रथम अधिक भौतिक/वित्तीय प्रगति वाले कार्यों के लिए धनराशि इस प्रकार अवमुक्त कराये जाय कि वे शीघ्र पूर्ण हो सके तथा थोड़ा–थोड़ा धनराशि कई कार्यों के मध्य बांटने की वर्तमान प्रथा पर रोक लगाई जाय एवं इस प्रकार के अनियमित प्रस्ताव रखने वाले दोषी अधिकारियों का उत्तरदायित्व निर्धारित करें।
13. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2011–12 के आय–व्ययक की अनुदान सं0–20 के आयोजनागत मद के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 4711– बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय–01–बाढ़ नियंत्रण–103–सिविल निर्माण कार्य–03–अनापेक्षित आपातकालीन कार्य नदी में सुधार तथा कटाव–24 वृहत निर्माण कार्य के अन्तर्गत सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामें डाला जायेगा।

यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–12/XXVII(2)/2011, दिनांक 06 अप्रैल, 2011 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्न : यथोक्त।

भवदीय,

(पी0सी0 शर्मा)
प्रमुख सचिव।

संख्या 940(1)/ ।।–2011–03(05)/2009, टी0सी0, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– महालेखाकार, उत्तराखण्ड।
2– निजी सचिव, मा0 सिंचाई मंत्री जी को मा0 मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
3– निदेशक, राजकोषीय नियोजन तथा संसाधन निदेशालय, सचिवालय।
4– निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, उत्तराखण्ड, 23 लक्ष्मी रोड़, देहरादून।
5– आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
6– जिलाधिकारी/कोषाधिकारी, हरिद्वार।
7– निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, सचिवालय परिसर, देहरादून।
8– वित्त अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन।
9– नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
10– गार्ड फाईल।

संलग्न : यथोक्त।

आज्ञा से,

(एस0एस0 टोलिया)
अनु सचिव।

संख्या 940(1)/ II–2011–03(05)/2009, टी0सी09, दिनांक 07 अप्रैल का संलग्नक।

क0 सं0	योजना का नाम	टी0ए0सी0 से परीक्षित लागत (धनराशि ₹ लाख में)	वित्तीय वर्ष 2011–12 में अवमुक्त की जा रही धनराशि
1	जनपद हरिद्वार के वि0ख0 बहादराबाद में खाला टीरा नाला पर ग्राम खाला टीरा की आपातकालीन कटाव निरोधक कार्य योजना	7.90	7.90
2	जनपद हरिद्वार के वि0ख0 बहादराबाद में पथरी रौ के बांये तट पर आपातकालीन कटाव निरोधक कार्य योजना	6.80	6.80
3	जनपद हरिद्वार के वि0ख0 बहादराबाद में रतमऊ नदी के बांये किनारे पर बसे ग्राम संदल एवं घनौरी की बाढ़ सुरक्षा योजना	8.05	8.05
	कुल योग		22.75

(₹ बाईस लाख पिचहत्तर हजार मात्र)

(एस0एस0 डोलिया)
अनु सचिव।